

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी:-श्री गोविन्द सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:- 103/16 वाद पत्र.

उनवान

1-मंजू कंवर पुत्री देवीसिंह राजपूत निवासी आसपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)

वादिया

बनाम

- 1- चैन कंवर पुत्री प्रवीणसिंह राजपूत निवासी आसपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 2- किरण कंवर पुत्री प्रवीणसिंह ना.बा.ब.वि. माता चैन कंवर राजपूत निवासी आसपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 3-ग्राम सेवा सहकारी समिति लि० नाथड़ियास जरिये व्यवस्थापक।
- 4-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. महेन्द्रसिंह-

अधिवक्ता वादीया

दिनांक 28.02.2019

निर्णय

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 27.06.2017 के द्वारा वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम आसपुर पटवार हल्का नाथड़ियास तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे वादीया एवं प्रतिवादी संख्या एक व दो के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त को आराजी संख्या 3 रकबा 0.30 है०, आराजी संख्या 6 रकबा 0.37 है०, आराजी संख्या 17 रकबा 0.35 है०, आराजी संख्या 664 रकबा 0.30 है०, आराजी संख्या 681 रकबा 0.25 है० कुल कित्ता 5 कुल रकबा 1.57 है० भूमि स्थित है। जिसमे वादीया का 1/2 हिस्सा तथा रहन का इन्द्राज यथावत रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बौण्डस के आधार पर स्वतन्त्र खाता रवेन्यु रिकार्ड में खाले जाने हेतु प्राथमिक डिक्री किये जाने एव तहसीलदार रायपुर से बटवारा प्रस्ताव चाहा गया था।

तहसीलदार द्वारा दिनांक 27.12.2017 को बटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया जो सही प्रतीत होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। वादीया के अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है अतः

आदेश

वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीया के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम आसपुर पटवार हल्का नाथड़ियास तहसील रायपुर की आराजी संख्या 3/2 रकबा 0.150 है0, 6/2 रकबा 0.190 है0, 17/2 रकबा 0.170 है0, 664/1 रकबा 0.150 है0, 681/1 रकबा 0.125 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 0.785 है0 मंजु कंवर पुत्री देवीसिंह राजपुत सांदेह खातेदार रहन जीएसएस नाथड़ियास आराजी न0 3/1 रकबा 0.150 है0, 6/1 रकबा 0.180 है0, 17/1 रकबा 0.180 है0, 664/2 रकबा 0.150 है0, 681/2 रकबा 0.125 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.785 है0 चैन कंवर बेवा प्रवीण सिंह किरण कंवर पुत्री प्रवीण सिंह ना.बा.ब.वि.माता चैन कंवर राजपुत सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।


गोविन्द सिंह


आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड

अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 28.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


सहायक कलक्टर (उपखण्ड
अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 रूल्य 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
पीठासीन अधिकारी:-श्री गोविन्द सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:- 103/16 वाद पत्र.

उनवान

1-मंजू कंवर पुत्री देवीसिंह राजपूत निवासी आसपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)

वादिया

बनाम

1- चैन कंवर पुत्री प्रवीणसिंह राजपूत निवासी आसपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)

2- किरण कंवर पुत्री प्रवीणसिंह ना.बा.ब.वि. माता चैन कंवर राजपूत निवासी आसपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)

3-ग्राम सेवा सहकारी समिति लि० नाथड़ियास जरिये व्यवस्थापक।

4-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 53 आर०टी०एक्ट

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादी स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार रायपुर को आदेशित किया जाता है ग्राम आसपुर पटवार हल्का नाथड़ियास तहसील रायपुर की आराजी संख्या 3/2 रकबा 0.150 है०, 6/2 रकबा 0.190 है०, 17/2 रकबा 0.170 है०, 664/1 रकबा 0.150 है०, 681/1 रकबा 0.125 है०, कुल किता 5 कुल रकबा 0.785 है० मंजु कंवर पुत्री देवीसिंह राजपुत सा०देह खातेदार रहन जीएसएस नाथड़ियास आराजी न० 3/1 रकबा 0.150 है०, 6/1 रकबा 0.180 है०, 17/1 रकबा 0.180 है०, 664/2 रकबा 0.150 है०, 681/2 रकबा 0.125 है० कुल किता 5 कुल रकबा 0.785 है० चैन कंवर बेवा प्रवीण सिंह किरण कंवर पुत्री प्रवीण सिंह ना.बा.ब.वि. माता चैन कंवर राजपुत सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

गोविन्द सिंह

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड
अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा

यह आज तारीख 28.02.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड
अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा